

**न्यायालय तहसीलदार वृत्त धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़, जिला दतिया (म0प्र0)**

(पीठासीन अधिकारी-प्रकाश परिहार)

तहसीलदार तहसील-इन्दरगढ़

RCMS मामला क्रमांक 67337/अ-6/2021-23

लालू प्रसाद शर्मा  
मि० खजुरी तह० इन्दरगढ़  
बनाम

सुनील कुमार शर्मा रामरत्न  
मि० खजुरी तह० इन्दरगढ़ / आदेश / 11/133  
आदेश दिनांक 28/01/23

1/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि क्रेता/क्रेतागण लालू प्रसाद पिता/पति रमेश  
जाति कुशी निवासी/ग्राम खजुरी तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया  
ने इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम खजुरी राजस्व निरीक्षक वृत्त धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़  
में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 868 कुल किता 01 कुल  
रकबा 0.24 हे० में से अपने हिस्सा रकबा 0.24 हे० में से बिकित रकबा 0.24 हे०। आवेदक/आवेदकगण ने भूमि  
स्वामी विक्रेता/विक्रेतागण सुनील कुमार पिता/पति रामरत्न जाति शिवारत  
निवासी/ग्राम इन्दरगढ़ से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/03/2020 से क्रेय किया है। अतः  
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किया जावे।

2/ आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादोक्त भूमि की खसरा नकल वर्ष 2022-23 की  
प्रति तथा स्वयं/विक्रेता/साक्षी का शपथ पत्र एवं कथन प्रस्तुत किया है।

3/ प्रकरण विधिवत अ-6 मद में दर्ज कर विज्ञापित का प्रकाशन किया गया। म्याद अवधि में कोई भी लिखित आपत्ति प्राप्त नहीं  
हुई।

4/ पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में  
विक्रेता/विक्रेतागण सुनील कुमार पिता/पति रामरत्न जाति शिवारत  
निवासी/ग्राम खजुरी का हिस्सा रकबा 0.24 हे० पर राजस्व रिकार्ड में किसके नाम पर दर्ज है।

5/ प्रकरण की सूक्ष्म समीक्षा की गयी। जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि विक्रेता/विक्रेतागण सुनील कुमार पिता/पति  
रामरत्न जाति शिवारत निवासी/ग्राम खजुरी द्वारा ग्राम खजुरी  
राजस्व निरीक्षक वृत्त धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़ में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 868 कुल  
किता 01 कुल रकबा 0.24 हे० में से अपने हिस्सा रकबा 0.24 हे० में से बिकित रकबा 0.24 हे०। रजिस्टर्ड  
विक्रय पत्र क्रमांक MPO9598020A1188352 दिनांक 09/03/2020 से क्रेता/क्रेतागण लालू प्रसाद  
पिता/पति रमेश जाति कुशी निवासी/ग्राम खजुरी को विक्रय की है।  
प्रकरण के प्रचलन के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति  
प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादोक्त भूमि का नामांतरण किया जाना उचित प्रतीत होता  
है।

6/ म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में प्रावधानित किया गया है कि नामांतरण की कार्यवाही राजस्व तो स्वत्व अर्जित होता है और न ही  
स्वत्व समाप्त है नामांतरण का मूल उद्देश्य स्वत्व का अर्जन न होकर विधि पूर्वक अर्जित स्वत्व को मान्यता प्रदान करना है जैसा  
कि निम्न न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित किया गया है, (केशव प्रसाद बनाम रंजनाबाई 1991 रा.नि. 2002, सुखदेव कौटन प्रेस बनाम  
स्टेट ऑफ एम.पी. 1995 रा.नि. 100, रघुवीर सिंह बनाम अमर सिंह 1975 रा.नि. 21, बालाघाट बनाम प्रेमनारायण 1998 रा.नि. 231।  
साथ ही राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही आबद्धकारी होती है तथा रजिस्टर्ड विलेख  
की वैधता की जाँच राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। उक्त संबंध में निम्नांकित न्याय दृष्टांत-8-रज्जो (श्रीमती) वि.  
पुष्पलता 2011 रा.नि. 1931) अवलोकनीय है।

7/ अतः उपरोक्त न्याया दृष्टांतों एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 व  
110 के अंतर्गत आवेदक अपना आवेदन-पत्र सिद्ध कराने में सफल रहा है तथा ग्राम खजुरी राजस्व निरीक्षक  
वृत्त धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़ में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 868 कुल  
किता 01 कुल रकबा 0.24 हे० में से अपने हिस्सा रकबा 0.24 हे० में से बिकित रकबा 0.24 हे०। पर  
विक्रेता/विक्रेतागण सुनील कुमार पिता/पति रामरत्न जाति शिवारत  
निवासी/ग्राम खजुरी का नाम कम कर क्रेता/क्रेतागण लालू प्रसाद  
पिता/पति रमेश जाति कुशी निवासी/ग्राम खजुरी  
तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया का नाम दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया जाता है। शेष  
सह खातेदारों का हिस्सा पूर्ववत् यथावत् रहेगा। यदि उक्त भूमि का कृषि भिन्न आशय में उपयोग हो रहा हो तो संबंधित पटवारी  
सक्षम अधिकारी को प्रतिवेदन देवे ताकि अवैध कॉलोनी का निर्माण न हो।

रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में उक्त भूमि कहीं भी रहन, विकी या अधिगृहण या जमानत आदि में नहीं है, और नहीं कृषि खातों की  
अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 तथा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत विक्रय वर्जित नहीं है, एवं भू पंजीयन  
की धारा 22 के उल्लंघन नहीं होता है। विक्रय की गयी भूमि देवस्थान या भूदान या शासकीय पट्टे की नहीं है। यदि भविष्य में  
उक्त भूमि के विक्रय में उक्त निर्देशों/अधिनियम का उल्लंघन होना सिद्ध हुआ तो यह संहिता की धारा 32 के तहत न्यायालय से  
कपट किया होना मान्य कर आदेश स्वमेव शून्य मान्य होगा।

प्रवाचक आदेश की छायाप्रति तत्काल पटवारी को प्रदाय कर सात दिवस में राजस्व अभिलेख में अमल कराना सुनिश्चित करें।  
अमल पूर्व पटवारी बंदोबस्त खतौनी से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि उक्त भूमि शासकीय/पट्टे की नहीं है और न ही किसी  
बैंक में बंधक है। तरोपरांत अमल करें अन्यथा की स्थिति में न्यायालय तहसीलदार को अवगत करावे। प्रवाचक अमल उपरांत अमल  
की हुई खसरा की नकल प्रकरण में संलग्न करने के उपरांत प्रकरण अभिलेखागार में जमा करावे।

प्रवाचक आदेश का तत्परता से पालन सुनिश्चित करें।

(आदेश मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से आज दिनांक 28/01/23 को जारी किया गया।)

(प्रकाश परिहार)  
वृत्त-धीरपुरा तहसीलदार  
न्यायालय